न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— गजेन्द्र सिंह राठौड़, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—70/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/70)

1. जयराम पुत्र श्री रामकिशन
2. धर्मराज पुत्र श्री रामकिशन
3. गोपाल पुत्र श्री नानाराम
4. कालू पुत्र श्री काना
5. लादू पुत्र श्री रामप्रताप
6. माधू पुत्र श्री रामप्रताप
7. रामेश्वर पुत्र श्री रामप्रताप
8. कालू पुत्र श्री रामप्रताप
9. बाली पुत्री श्री जमना
10. रामप्रसाद पुत्र श्री जमना
11. रामसुख पुत्र श्री रामदेव
12. सीताराम पुत्र श्री शिवराज

समस्त जाति कहार निवासीगण ग्राम बिसून्दनी तहसील सावर, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. हनुमान पुत्र श्री सूरजमल जाति दरोगा (रावणा राजपूत) निवासी ग्राम बिसून्दनी तहसील सावर जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सावर, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

3. काली पुत्री श्री रामनारायण
4. नारायणी पत्नि श्री श्योजीराम
5. रूखमा पुत्री श्री शिवराम
6. रामप्यारी पत्नि श्री जमना
7. लाडा पत्नि श्री रामचंद्र
8. लादी पत्नि श्री शिवराम
9. श्रीराम पुत्र श्योजीराम
10. सूरमा पुत्री श्योजीराम
11. सीता पुत्री शिवराम

समस्त जाति कहार निवासीगण ग्राम बिसून्दनी तहसील सावर जिला अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.12.2021 राजस्व वाद संख्या 24/2020

7.11.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उपस्थितः–

1. श्री, मनीष खण्डेलवाल, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री, शिवप्रकाश चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 11 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 07.11.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 24/2020 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया। उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 8 को नोटिस जारी किए गए। उक्त प्रकरण के नोटिस प्राप्त होने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया गया कि प्रार्थी वादवर्णित खसरा नम्बरान पर काश्त करते आ रहे हैं लेकिन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच किसी प्रकार का झगडा फसाद कभी भी नहीं हुआ है। प्रार्थी अपनी आराजीयात को परम्परागत रास्ते से ही काश्त करते चले आ रहे है इसलिए खसरा संख्या 2473, 2472, 2471 तथा 2468/2982 के उत्तरी दिशा में मेड के सहारे लाल स्याही से दर्शित मार्क ए से बी तक 10 फीट चौडाई वाले रास्ते की प्रार्थी को सदभाविक रूप से युक्तियुक्त आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी ने वादवर्णित आराजीयात के सहखातेदार को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी को वादवर्णित आराजीयात खसरा संख्या 2466, 2468 व 2468/2984 में काश्त करने के लिए अपने परम्परागत रास्ता खसरा संख्या 963 से खसरा संख्या 2455, 2457, 2457/3018 व 2457/2981 के मेड पर होते हुए अपनी आराजीयात में वर्षों से काश्त करते चले आ रहे है जो उक्त रास्ता प्रार्थी की अपने खेतो का नजदीक का रास्ता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे–खर्चे खारिज किए जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.8.2021 को प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र की सुनवाई से पूर्व तथा प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने के पश्चात प्रकरण में नियोजित किए गए नवीन अप्रार्थीगण को नोटिस जारी नहीं किए गए। उक्त पत्रावली दिनांक 13.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग 2021 केम्प कुशायता मे प्रस्तुत हुई, उक्त केम्प में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सावर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 13.08.2021 के आधार बिना किसी साक्ष्य, जवाब प्रार्थनापत्र एवं अन्य दस्तावेज का विवेचन किए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2021 को प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण की आराजी में से रास्ता दिए जाने के आदेश पारित कर दिया गया। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या

7.11.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

24/2020 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 3 से 11 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में तहसीलदार सावर को दिनांक 26.06.2020 को पत्र जारी किया जाकर बिंदुवार मौका रिपोर्ट तलब की गई परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब किए जाने हेतु आदेशिका में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी न्यायिक आदेश के उक्त मौका रिपोर्ट तलब की गई जो कि विधि प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है। तहसीलदार सावर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.08.2020 को उक्त मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त मौका रिपोर्ट बनाए जाते समय अपीलार्थीगण को मौके पर तलब नहीं किया गया तथा ना ही कोई नोटिस दिया गया। तहसीलदार सावर एवं भू–अभिलेख निरीक्षक पीपलाज तथा पटवार हल्का बिसुंदनी द्वारा अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में उक्त मौका रिपोर्ट मनमाने तरीके से प्रत्यार्थी संख्या 1 को अनुचित फायदा पहुंचाने की मंशा से बनाई गई है। उक्त मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कब व किस दिनांक को प्रस्तुत की गई उस बाबत आदेशिका में कोई उल्लेख नहीं होने से अपीलार्थीगण की आक्षेपित निर्णय से पूर्व उक्त मौका रिपोर्ट की जानकारी नहीं हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.08.2020 को उक्त मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात दिनांक 15.09.2020 को अपीलार्थी की ओर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर प्रत्यार्थी संख्या 1 के आवगमन हेतु परम्परागत रास्ता खसरा संख्या 963 से खसरा संख्या 2455, 2457, 2457/3018 तथा 2457/2981 की मैड पर होते हुए आराजीयात पर जाने हेतु सुगम रास्ता उपलब्ध होने का कथन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट तथा अपीलार्थीगण के जवाब प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों में विरोधाभास होने के बावजूद नवीन मौका रिपोर्ट वैकल्पिक मार्ग हेतु तलब नहीं की जाकर केवल पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यार्थी संख्या 1/प्रार्थी द्वारा अपीलार्थी संख्या 9 लगायत 12 तथा अन्य प्रफोर्मा प्रत्यार्थीगण को पक्षकार नियोजित किए जाने हेतु दिनांक 17.8.2021 को प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात तथा प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नवीन पक्षकारान को अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने हेतु नोटिस जारी किए बिना ही उक्त प्रकरण में आदेश प्रदान कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2021 की आदेशिका के जरिए उक्त प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी संख्या 9 लगायत 12 तथा अन्य प्रोफार्मा प्रत्यार्थीगण को पक्षकार नियोजित किया गया। प्रार्थी/प्रत्यार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने से पूर्व अप्रार्थीगण गंगा पुत्री रामप्रताप, जडाव पत्नी रामनारायण, जमना पत्नी रामप्रताप, दिलखुश पुत्र श्योजीराम, रामकन्या पुत्री जमना तथा रामस्वरूप पुत्र जमना का निधन हो चुका था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्तियों को उक्त प्रकरण में पक्षकार

7/11/2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

नियोजित कर मृत व्यक्तियों के विरूद्ध आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश अविधिक आदेश की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध आक्षेपित आदेश पारित किए जाने से उक्त आदेश प्रथम दृष्अया विधि प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश प्रशासन गांवों के संग 2021 केम्प कुशायता में पारित किया गया। राजस्व केम्प में केवल उन्हीं प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा जिसमें उभयपक्षों द्वारा आपसी सहमति प्रदान की जाकर राजीनामा कर लिया गया हो, जिन प्रकरण में उभयपक्ष आपस में सहमत नहीं हो उन प्रकरण का निस्तारण राजस्व केम्प में गुणावगुण पर नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण का राजस्व केम्प में गुणावगुण पर निस्तारण कर दिए जाने से आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश प्रशासन गांवों के संग 2021 केम्प कुशायता में पारित किया गया। उक्त केम्प में अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में आदेश दिनांक 13.12.2021 पारित किए जाने के कारण उक्त आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 27.01.2022 को अपीलार्थीगण प्रकरण की आगामी तारीख पता करने अधीनस्थ न्यायालय गए तो जानकारी हुई कि प्रकरण में निर्णय हो गया। अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 27.01.2022 को उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। उक्त अपील प्रमाणित प्रति प्राप्त किए जाने से अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 24/2020 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2021 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बिसुंदनी की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या नया पुराना 345–324 के खसरा नम्बर 2466 रकबा 1.97 है0 किस्म बारानी 1 तथा खसरा नम्बर 2468 रकबा 0.25 है0 किस्म बारानी 1 का खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी की पूर्व दिशा की और अप्रार्थीगण की आराजी के पश्चात सरकारी रास्ता खसरा नम्बर नम्बर 2474 रकब 0.03 है0 गै0मु0 रास्ता स्थित है जिसमें होकर अप्रार्थीगण की आराजीयात के उत्तर दिशा की ओर से स्थित मेड के सहारे प्रार्थी अपनी वाद वर्णित आराजीयात में आकर काश्त करता था। विगत 3 माह पूर्व दिनांक 15.3.2020 को अप्रार्थीगण ने अपनी आराजी के उत्तरी मेड पर तारबंदी कर देने से प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि पर आवागमन करने का कोई रास्ता नहीं है। तथा प्रार्थी के पास किसी प्रकार का कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। प्रस्तावित रास्ता अनुसार अप्रार्थीगण की आराजीयात खसरा नम्बर 2473, 2772, 2471, 2468/2982 के उत्तरी दिशा में सदभाविक रूप से युक्तियुक्त आवश्यकता है जिसके लिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को रास्ते में आने वाली भूमि का मूल्य डी0एल0सी रेट से न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित की जाने वाली राशि का प्रार्थी अप्रार्थीगण को भुगतान करने को तैयार एवं तत्पर है। जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी की वांद वर्णित आराजीयात में आवागमन के

7.11.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी

लिए प्रस्तावित संलग्न नक्शानुसार अप्रार्थीगण की भूमि में से प्रार्थी को रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित एवं न्याय तथा विधि सम्मत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2466 रकबा 1.97 है0 खसरा नम्बर 2468 रकबा 0.25 है0, बारानी प्रथम मे आवागमन कृषि कार्य करने खेती के विकास फसल काश्त कर काटकर लाने ले जाने ट्रेक्टर से आवागमन करने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 2473, 2472, 2471, 2468/2982 के उत्तरी दिशा की ओर मेड के सहारे सहारे संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ता मार्क ए से बी करीब 10 फीट चौडाई का रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि में से प्रार्थी को दिलाया जाकर रास्ते की भूमि का क्षेत्रफल का डीएलसी रेट से भुगतान जमा कराने का आदेश प्रदान करावे, एवं उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम कर रास्ते के खसरा नम्बर अंकित करने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 9 तहसीलदार सावर को उचित आदेश प्रदान करने की कृपा करावे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 4.4.2022 को न्यायालय हाजा द्वारा बाद सुनवाई मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखे जाने बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए अपील को अंदर मियाद माना गया था। दिनांक 27.5.2022 को रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से शीघ्र सुनवाई करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। दिनांक 19.7.2023 को बहस सुनी गई मगर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने से आदेश नहीं लिखवाया जा सका दिनांक 6.9.2023 को अंतिम बहस सुनी गई। मगर आदेश नहीं लिखवाया जा सकने के काराण दिनांक 26.10.2023 को पुनः बहस सुनी गई।

7. वकील अपीलांट ने बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 हनुमान के द्वारा 251 ए आरटी एक्ट में उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कहा कि ग्राम बिसुंदनी के ,खसरा नम्बर 2466, 2468 हनुमान वादी/प्रार्थी के हैं तथा खसरा नम्बर 2472, 2471,2473 प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण वर्तमान अपीलांटगण के नाम हैं। खसरा नम्बर 2374 सिवायचक भूमि है। वादी हनुमान के अनुसार प्रतिवादीगण ने दिनांक 15.3.2020 को रास्ता तार बंदी से बंद कर दिया ऐसा अधीनस्थ न्यायालय में बताया गया इस पर तहसीलदार से दिनांक 13.8.2021 को मौका रिपोर्ट तैयार करवाई गई। वर्तमान अपीलांट द्वारा दिनांक 15.9.2021 को जवाब प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया गया कि वादी/रेस्पोडेंट का अपने खेतों तक पहुंचने हेतु परमपरागत अन्य रास्ता मौजूद है। जो कि खसरा नम्बर 963 से है यह रास्ता नजदीक रास्ता है ओर अलग से रास्ता दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं बताई। बहस में यह भी आक्षेप लगाया कि प्रतिवादी रेस्पोडेंट द्वारा सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया था यह जानकारी होने पर स्वयं वादी हनुमान द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे स्वीकार किया गया था मगर नए अंकित किए गए सहखातेदारों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

7.11.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी

नोटिस देकर नहीं बुलाया गया न ही उनका जवाब लिया गया उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना स्पीकिंग आर्डर के स्वीकार किया गया है। दिनांक 13.12.2021 को राजस्व केम्प के अंदर निर्णय पारित कर दिया गया। दिनांक 26.6. 2020 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार को पत्र जारी कर मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था मगर आर्डर शीट पर इस बाबत कोई निर्देश नहीं है जबकि होना यह चाहिए था कि आदेश के अनुसरण में ही पत्र जारी होता। मौका रिपोर्ट दिनांक 13.8.2020 की है, प्रथम रिपोर्ट है पटवारी द्वारा तैयार की गई है। इसके बाद गिरदावर द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है व इसके बाद तहसीदार द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है। जबकि तहसीलदार को अपनी शक्ति डेलिगेट नहीं करनी चाहिए थी तहसीदार मौके पर नहीं गया मौके रिपोर्ट पर अपीलांट व तरतीवी रेस्पोडेंट के हस्ताक्षर नहीं है। दिनांक 15.9.2020 को हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट (1 से 8) के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया था जिसमें वैकल्पिक रास्ते का सुझाव दिया गया था। हमारे सुझाव के बाद नई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई। बाद में जोडे गए तरतीबी रेस्पोडेंट से कोई जवाब नहीं लिया गया। कुछ पक्षकारों की मृत्यु हो चुकी थी अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3,5,6,711,15 की मृत्यु हो चुकी थी जिसे अपील के पैरा सख्या 6 में अंकित किया हुआ है। मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध आदेश दिया गया है जो गलत है प्रकरण का निपटारा राजस्व केम्प में लाकर किया गया है जबकि राजस्व केम्प में सहमति के आधार पर ही निर्णय किया जाता है मेरिट के आधार पर नहीं किया जाता है। राजस्व केम्प में उपस्थिति बाबत हवाला दिया गया है ना ही हमारे हस्ताक्षर है ना ही हमारा वकील उपस्थित था।

8. जवाब/बहस में रेस्पोडेंट वकील ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण 1 से 8 ने जवाब प्रस्तुत किया था नोटिस जारी किए गए थे रिपोर्ट गिरदावर द्वारा तैयार कि गई है नियम 69 की पालना की गई है। तहसीलदार को दिए गए आदेश का अंकन उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्रावली के एक कोने पर अंकित किया हुआ है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट के बिंदु संख्या 5 में तहसीलदार द्वारा कोई रास्ता नहीं बताया गया है निर्णय भी गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। अपीलांट द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए है। साथ ही उन्होंने आदेश 41नियम 2 सीपीसी का हवाला देते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय में उठाए गए बिंदुओं के अलावा अपील में नए बिदु नहीं उठाए जा सकते। अपीलांट द्वारा अपील में रिमाण्ड बाबत कोई मांग नहीं की गई है। अपील मियाद बाहर है क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय में इनके वकील उपस्थित थे।

9. रिबूटल में वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि जवाब सिर्फ प्रार्थना पत्र मे अंकित मूल प्रार्थीगण 1 से 8 का ही लिया गया था । आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के माध्यम से जोडे गए अप्रार्थीगण का कोई जवाब नहीं लिया गया। बाद में जोडे गए व्यक्तियों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। पत्रावली पर जो नोटिस रेस्पोडेंट द्वारा भेजा जाना बताया गया है वे नोटिस राजस्व केम्प बाबत भेजे गए थे न कि आदेश 1 नियम 10 के संदर्भ में भेजे गए थे उक्त नोटिस भी संयुक्त रूप से जारी किए गए है। जो गलत है। जब गिरदावर से रिपोर्ट मांगी जानी थी तो पटवारी से रिपोर्ट क्यों ली गई। हमारे द्वारा सुझाए गए रास्ते की बात पर कोई रेस्पोण्ड नहीं किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार के सदस्य ही ला सकते हैं। अपील के अंदर अधीनस्थ न्यायालय की

7.11.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी

खामियों को उजागर किया जा सकता है। दिनांक 8.4.2022 को न्यायालय हाजा द्वारा एक बार धारा 5 को स्वीकार कर लिया गया है सूप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आगे इस बात को नहीं उठाया जा सकेगा इस बाबत इनका कोई रिव्यू प्रार्थना पत्र नहीं है, आर्डर शीट दिनांक 6.10.2021 में दी गई तारीख को काटा जाकर बदला गया है।

10. बहस बिंदुओं पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। दिनांक 26.6.2020 को उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा तहसीलदार सावर को प्रकरण संख्या 24/2020 उनवानी हनुमान पुत्र सूरजमल बनाम जयराम पुत्र रामकिशन में जांच रिपोर्ट भिजवाने बाबत पत्र जारी किया गया है। इसमें यह अंकित किया हुआ है। **" अतः आप प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की जांच वर्तमान राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति अनुसार स्वयं या अन्य राजस्व कर्मचारी जो गिरदावर स्तर से कम ना हो से जांच करवाई जाकर मय अपनी स्पष्ट अनुशंषा सहित निम्न बिंदुवार रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक रूप से भिवाया जाना सुनिश्चित करें। "**

11. उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार या गिरदावर को रिपोर्ट करने बाबत निर्देशित किया था। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह आक्षेप की तहसीलदार मौके पर क्यों नहीं गया को खारिज किया जाता है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 13.8.2020 गिरदावर पीपलाज द्वारा तैयार करवाई गई। मगर उक्त रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व मौके पर बुलवाया जाने हेतु प्रार्थी व अप्रार्थी को गिरदावर की तरफ से कोई नोटिस जारी किए गए हो ऐसा पत्रावली के अवलोकन से नहीं पाया जाता है। साथ ही मौका पर्चा पर किसी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं पाए गए है जो उचित नहीं है।

12. दिनांक 17.8.2021 को प्रार्थी हनुमान की ओर से उनके वकील के द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। दिनांक 27.8.2021 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जाता है। दिनांक 27.9.2021 को संशोधित शीर्षक प्रस्तुत कर दिया गया। दिनांक 6.10.2021 को पत्रावली जवाब बहस हेतु नियत की गई। अगली पेशी दिनांक 24.11.2021 तय की गई दिनांक 24.11.2021 को पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर रहने से अगली तिथि दिनांक 13.12.2021 तय की गई। प्रोसिडिंग के अवलोकन से स्पष्ट है कि संशोधित शीर्षक प्राप्त करने के बाद नए जोडे गए अप्रार्थीगण से कोई जवाब नहीं लिया गया यह बात सही है।

13. दिनांक 13.12.2021 को निर्णय किया गया **"प्रोसिडिंग में निम्नानुसार दर्ज है। " पत्रावली कुशायता केम्प में ली गई। प्रार्थी –अप्रार्थी हाजिर सुना गया। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण से समझाईश करवाई गई विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया मिसल नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो बाद तकमिल दाखित दफ्तर हो।** " राजस्व केम्प में समझाईश और सहमति के बाद ही प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। राजस्व केम्प में प्रकरणों का निपटारा मेरिट के आधार पर नहीं किया जाता तथा सहमति के बाद आवश्यक रूप से उपस्थित पक्षकारों तथा उनके अभिभाषकों के हस्ताक्षर आर्डर शीट पर लिए जाते हैं। आर्डर शीट दिनांक 13.12.2021 के अवलोकन से ऐसा बिल्कुल नहीं पाया गया जो गलत है।

14. राजस्व केम्प में उपस्थिति हेतु दिनांक 8.12.2021 को संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया गया है उक्त नोटिस दिनांक 8.12.2021 को तथा

7.11.2023

पेशी दिनांक 13.12.2021 बताई गई है। सभी नोटिसों के पीछे जयराम के हस्ताक्षर दिखाई पडते है। स्पष्ट है कि राजस्व केम्प में उपस्थिति हेतु अप्रार्थीगण की तामिल सम्यक रूप से नहीं करवाई जो गलत है।

15. न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उठाए गए बिंदुओं के अलावा भी अन्य दर्शित खामियों को अपील में उठा सकता है। अतः रेस्पोडेंट के उक्त आक्षेप को खारिज किया जाता है कि अपीलांट अपील में अधीनस्थ न्यायालय में उठाए गए बिंदुओं के अतिरिक्त नए बिंदु नहीं उठा सकता है।

16. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में तहसीदार की रिपोर्ट का हवाला है न कि गिरदावर की रिपोर्ट का हवाला है।

17. रेस्पोडेंट वकील का यह कहना है कि नियम 69 की पालना की गई है। जो पूरी तरह से सही नहीं है नियम 69 का अवलोकन किया गया जो उक्तानुसार है– नियम 69 में आवेदन पत्र की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल(साईट) का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक भू-अभिलेख के पद से नीचे का नहीं होगा, निरीक्षण करवाएगा एवं प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करेगा। उपखण्ड अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का एक अवसर प्रदान कर तथा ऐसी और अग्रिम जांच जिसे वह आवश्यक समझे करने के बाद यदि अपना इससे अपना समाधान कर लेता है कि–

क. आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत(हॉलिंग) के मात्र सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है,एवं

ख. विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर किसी नए रास्ते के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध हो गया है वह आवेदन पत्र को स्वीकृत कर सकेगा। यह आवेदन पत्र आवेदन किए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

18. वर्तमान अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.9.2020 को ही अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की ओर से अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था जिसमें उन्होंने प्रार्थी को परमपरागत रास्ता खसरा संख्या 963 से खसरा संख्या 2455, 2457, 2457/3018, 2457/2981 की मेड से होते हुए अपनी आराजी संख्या 2466, 2468, 2468/2984 पर पहुंच सकता है तथा यह प्रार्थी के खेतों तक पहुंचने बाबत सबसे नजदीकी रास्ता भी है यह बताया गया है। अप्रार्थी के उक्त कथन या आपत्ति/सुझाव पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पृथक से कोई रिपोर्ट नहीं मंगवाई जाना पाया गया है। जबकि नियम 69 में यह मेण्डेटरी है कि मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपखण्ड अधिकारी द्वारा पक्षकारों को नोटिस जारी किए जाकर उनसे आक्षेप आमंत्रित किए जाते हैं तथा यदि वह उचित समझे तो अग्रिम जांच करवाकर संतुष्ट होकर अंतिम आदेश जारी कर सकता है। मगर वर्तमान पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निरीक्षण रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात पक्षकारों को उपखण्ड अधिकारी द्वारा कोई नोटिस जारी किया जाना नहीं पाया जाता है। न ही अप्रार्थी 1 से 8 के द्वारा सुझाए गए परमपरागत रास्ते बाबत उनके द्वारा कोई जांच करवाई गई है न ही अपने निर्णय में इस बात का हवाला दिया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मानना है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा विधि अनुरूप निर्णय नहीं किया गया है।

19. वकील रेस्पोडेंट द्वारा वकील अपीलांट के इस आक्षेप की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में मृतक व्यक्तियों गंगा पुत्री रामप्रताप जडाव

7.11.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी

पत्नी रामनारायण, जमना पत्नी रामप्रताप, दिलखुश पुत्र श्योजीराम, रामकन्या पुत्री जमना तथा रामस्वरूप पुत्र जमना का निधन, अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायरी से पूर्व ही हो चुका था बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, अपितु अप्रार्थी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने बाबत आक्षेप किया गया है। जो गलत है मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता हैं।

20. वकील अपीलांट द्वारा बहस के दौरान प्रकरण को पुनः रिमाण्ड किए जाने बाबत कथन किए थे मगर रेस्पोडेंट अभिभाषक द्वारा जवाब/बहस में यह कहा गया कि अपील में अनुतोष में अपीलांट द्वारा रिमाण्ड हेतु कथन अंकित नहीं किए है बल्कि अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किए जाने बाबत कथन अंकित किए हैं। न्यायालय चाहे गए अनुतोष से भिन्न अनुतोष प्रदान नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय वकील रेस्पोडेंट की बात से सहमत होते हुए अपीलाधीन निर्णय को प्रकिया एवं नियम विरूद्ध होने से खारिज किया जाना उचित समझता है।

21. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाता है। अपीलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 24/2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी उनवानी हनुमान पुत्र सूरजमल बनाम जयराम पुत्र रामकिशन एवं अन्य अंतर्गत 251 ए आरटी एक्ट प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2021 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

7.11.2023

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

22. निर्णय आज दिनांक 07.11.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

7.11.2023

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर